भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1177

30 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए नियत

फेम इंडिया योजना के अंतर्गत निधियों का आवंटन

1177. श्री बी. के. पार्थसारथी:

श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने एवं विनिर्माण करने (फेम इंडिया) के अंतर्गत राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश में आवंटित एवं उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में, फेम-2 योजना के अंतर्गत राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश में निर्मित कुल इलेक्ट्रिक यात्री कारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ''फेम-2'' के अंतर्गत राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित बसों को ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान ''फेम-2'' के अंतर्गत राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश में बेची गई ई-बसों, इलेक्ट्रिक यात्री कारों, ई-2 पहिया वाहनों एवं ई-3 पहिया वाहनों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) **:** फ़ेम-इंडिया स्कीम, चरण-**II** को **1** अप्रैल**, 2019** से पांच वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय स्तर पर **10,000** करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लागू किया गया था जिसे बढ़ाकर **11,500** करोड़ रुपये कर दिया गया। इस स्कीम के तहत कोई राज्यवार आवंटन/प्रावधान नही है। इसके अलावा**,** फेम-इंडिया स्कीम के चरण-।। को लागू करने के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान बजटीय आवंटन और उपयोग का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	बजट आवंटन	31.03.2024 तक निधि का उपयोग
1	2019-2020	500.00 करोड़ रुपये	500.00 करोड़ रुपये
2	2020-2021	318.36 करोड़ रुपये	318.36 करोड़ रुपये
3	2021-2022	800.00 करोड़ रुपये	800.00 करोड़ रुपये
4	2022-2023	2897.84 करोड़ रुपये	2402.51 करोड़ रुपये
5	2023-2024	4807.40 करोड़ रुपये	3921.10 करोड़ रुपये

(**ख) और (घ) :** फ़ेम-II स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण के लिए नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री मात्र के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24) के दौरान "फ़ेम-II" के तहत सहायता-प्राप्त ई-दुपहिया, ई-तिपहिया और ई-चौपहिया की कुल संख्या के बारे में आंध्रप्रदेश राज्य सहित राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** पर है।

(**ग) :** फ़ेम-II स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के विनिर्माण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। इस स्कीम के तहत अंतर-शहरी प्रचालन के प्रयोजन से इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए विभिन्न नगरों/राज्य परिवहन इकाइयों/राज्य सरकार की संस्थाओं को सब्सिडी प्रदान किया जाता है। फ़ेम-II के तहत राज्य-वार संस्वीकृत ई-बसों की संख्या **अनुलग्नक-II** पर है।

*****

अनुलग्नक-I

"फेम-II" के तहत समर्थित राज्यवार ई-दुपहिया, ई-तिपहिया और ई-चौपहिया का विवरण

राज्य	**समर्थित ई-दुपहिया की संख्या**	**समर्थित ई-तिपहिया की संख्या**	**समर्थित ई-चौपहिया की संख्या**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12	0	5
आंध्र प्रदेश	**43554**	**2774**	**28**
अरुणाचल प्रदेश	4	5	0
असम	2346	5601	53
बिहार	9944	11644	13
चंडीगढ़	1787	306	11
छतीसगढ़	22019	4517	50
दिल्ली	56856	15365	5920
गोवा	10870	52	3
गुजरात	109519	2115	161
हरियाणा	10050	2564	892
हिमाचल प्रदेश	726	194	2
जम्मू और कश्मीर	2400	3250	0
झारखंड	7158	2620	182
कर्नाटक	189647	7948	3819
केरल	78370	6278	123
लक्षद्वीप	3	0	0
मध्य प्रदेश	35312	5402	87
महाराष्ट्र	251772	7343	2627
मणिपुर	50	411	1
मेघालय	112	19	0
मिजोरम	232	2	0
नगालैंड	7	1	0
ओडिशा	40740	2519	145
पुडुचेरी	3046	85	9
पंजाब	7939	728	19
राजस्थान	74915	3763	130
सिक्किम	9	1	0
तमिलनाडु	105043	3095	332
तेलंगाना	55426	2789	907
दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	142	48	0
त्रिपुरा	174	5758	5
उत्तर प्रदेश	31121	25724	140
उत्तराखंड	6190	3983	38
पश्चिम बंगाल	12744	3378	929
उपर्युक्त कुल	**1170239**	**130282**	**16631**

अनुलग्नक-II

फेम इंडिया स्कीम चरण-II के तहत स्वीकृत इलेक्ट्रिक बसों का विवरण; राज्यवार; विभिन्न शहरों/राज्य परिवहन इकाइयों/राज्य सरकार की संस्थाएं

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	**आवंटित ई-बसें**
आंध्र प्रदेश	**100**
बिहार	25
दादरा और नगर हवेली	25
दिल्ली	1321
गोवा	150
गुजरात	800
जम्मू और कश्मीर	200
कर्नाटक	1121
महाराष्ट्र	830
ओडिशा	50
पंजाब	80
राजस्थान	0
तेलंगाना	300
उत्तर प्रदेश	600
उत्तराखंड	30
पश्चिम बंगाल	1230
सकल योग	**6862**

******